प्रेस नोट दिनांक-02.04.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, गाली-गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लच्छीपुर से पहले टर्निंग से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जमुनीपुरी निवासी वादी के परिजनों को आरोपीगण द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डा से मारपीट कर घायल करने, गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 258 / 2019 धारा 147/148/307/323/325/504/506 भादिव बनाम 05 नामजद व 02 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाँ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ०नि० राकेश चौरसिया मय हमराह का० विकास बाबू, का० सलोने कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ०सं० 258 / 2019 धारा 147/148/307/323/325/504/506 भादवि० से संबंधित वांछित अभियुक्त संजय प्रजापति उर्फ लालता प्रसाद पुत्र स्व० भागीरथी प्रजापति निवासी ग्राम लच्छीपुर (पाण्डेय का पुरवा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के ग्राम लच्छीपुर से पहले टर्निंग से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. संजय प्रजापति उर्फ लालता प्रसाद पुत्र स्व0 भागीरथी प्रजापति निवासी ग्राम लच्छीपुर (पाण्डेय का पुरवा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० राकेश चौरसिया मय हमराह का० विकास बाबू, का० सलोने कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी, हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता को ग्राम कटैया थानाक्षेत्र लीलापुर से गिरफ्तार किया गया। घटना का संक्षिप्त का विवरण-

थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुटिलिया साड़देई में आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर वादिनी के साथ गाली-गलौज, धमकी व लाठी-डण्डे से जानलेवा हमला करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 15.03.2025 को थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 40/ 25 धारा 115(2), 352, 351(3), 109, 333, 110 बीएनएस बनाम 03 नामजद व 03 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0िन0 बंशीधर राय मय हमराह का0 जयप्रकाश, का0 मनोज यादव व म0का0 रेखा द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 40/ 25 धारा 115(2), 352, 351(3), 109, 333 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्ता को ग्राम कटैया थानाक्षेत्र लीलापुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण- 01 अभियुक्ता। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह का0 जयप्रकाश, का0 मनोज यादव व म0का0 रेखा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

एसपी प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही-

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने/ धर्म परिवर्तन कराने, धमकी व कूटरचित दस्तावेज के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लालगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत संगम चौराहा से आईस्टीन पब्लिक स्कूल रोड पर पुलिया के पास से किये गये गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भवराम बोझी में आरोपीगणओं द्वारा विगत कुछ दिन से गांव व आसपास गांव के कुछ व्यक्तियों को एकत्र कर हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन दिया जा रहा था। थाना लालगंज पर वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर दि0-31.03.2025 को मु0अ0सं0-115/25 धारा 3/5(1)

उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0-2021 व 351 (3) बीएनएस बनाम 03 अभियुक्त नामजद व अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0िन0 राजेश कुमार यादव मय हमराह उ0िन0 दीपक कुमार यादव, उ0िन0 सुमित वर्मा, उ0िन0 रमेश कुमार वर्मा, का0 विवेक सिंह, का0 देवेन्द्र कुमार, का0 संतोष यादव, का0 संजय कुमार, कां0 छत्रपाल, कां० नीरज वर्मा, का0 राहुल यादव, का0 आशीष गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वाँछित वारण्टी, विवेचना, दिवश के दौरान थाना लालगंज के मु0अ0सं0-115/25 धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0-2021 व 351 (3) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त 1- वृन्दावन सरोज पुत्र गणेश सरोज निवासी ग्राम भवराम बोझी, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ 2 - विवेक सरोज पुत्र वृन्दावन सरोज निवासी ग्राम भवराम बोझी, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ 2 - विवेक सरोज पुत्र वृन्दावन सरोज निवासी ग्राम भवराम बोझी, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ, 3 - शत्रुघन वर्मा पुत्र रामपाल निवासी ग्राम हिदराही, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र के संगम चौराहा से आईस्टीन पिल्तिक स्कूल रोड पर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से धर्म परिवर्तन संबंधित सामग्री बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 336 (3), 338, 340(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- वृन्दावन सरोज पुत्र गणेश सरोज निवासी ग्राम भवराम बोझी, थाना लालगंज,जनपद प्रतापगढ ।
- 2 विवेक सरोज पुत्र वृन्दावन सरोज निवासी ग्राम भवराम बोझी, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ।
- 3 शत्रुघन वर्मा पुत्र रामपाल निवासी ग्राम हदिराही, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ।
- 4- राकेश वर्मा पुत्र श्री रामधनी निवासी ग्राम हुसैनपुर, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी- धर्म परिवर्तन संबंधित सामग्री बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 दीपक कुमार यादव, उ0नि0 सुमित वर्मा, उ0नि0 रमेश कुमार वर्मा, का0 विवेक सिंह, का0 देवेन्द्र कुमार, का0 संतोष यादव, का0 संजय कुमार, कां0 छत्रपाल, कां० नीरज वर्मा, कां0 राहुल यादव, कां0 आशीष गुप्ता थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।